न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बड्वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 551/2014</u> संस्थित दिनांक— 05.08.2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र—ठीकरी, जिला बड्वानी म.प्र.<u>अभियोजन</u>

वि <u>रू द्</u>व

- महेश पिता जामसिंग भीलाला, आयु—22 वर्ष, जाति—भीलाला, निवासी—ग्राम कनासपुरा, बरूफाटक जिला बड़वानी
- कमल पिता जामसिंग भीलाला, आयु—28 वर्ष, जाति—भीलाला, निवासी—ग्राम कनासपुरा, बरूफाटक जिला बड़वानी
- जामसिंग पिता छोरिया भीलाला, आयु-60 वर्ष, जाति-भीलाला, निवासी-ग्राम कनासपुरा, बरूफाटक जिला बड़वानी

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	– श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	– श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 30/12/2015 को घोषित)

- 1. अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 22.07.14 को रात्रि 10:00 बजे ग्राम कनासपुरा, बरूफाटक में फरियादी के घर के सामने फरियादी बलराम का रास्ता रोककर स्वैच्छ्या सदोष अवरोध कारित करने, उसे लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित करने, फरियादी को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी एवं लात—मुक्कों से स्वैच्छ्या उपहित कारित करने तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के लिये भा.द.वि. की धारा—341, 294, 323 एवं 506(2) का अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तगण को जानते हैं तथा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था ।

- 3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.07.14 को ग्राम कनासपुरा, बरूफाटक में फरियादी बलराम रात्रि 10:00 बजे अपने घर से जनपद अध्यक्ष जगदीश के घर जा रहा था, घर से निकलते समय अभियुक्तगण एकदम से आ गये और उसे अश्लील गालियां देने लगे, महेश के हाथ में लकड़ी थी, जो उसने बाएँ तरफ सिर में मारी और कमल, जामिसंह ने हाथ—मुक्कों से मारा, उसके पिता कोल्या, माँ प्यारीबाई तथा मंशाराम आ गये, तीनों अभियुक्तों ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी । बलराम को चोट आने से उसे ईलाज के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी ले जाया गया, जहां उपस्थित डॉक्टर ने आहत का ईलाज कर सूचना संबंधित थाना ठीकरी पर प्रेषित की । जांच के दौरान प्रधान आरक्षक जगदीश चौहान ने यह पाया कि अभियुक्तों ने फरियादी के साथ उक्त अपराध कारित किया, अतः अपराध कमांक 165/14 अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया । साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त महेश से एक बांस की लकड़ी जप्त कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग—पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
- 4. उक्त अनुसार अभियुक्तगण पर भा.द.वि. की धारा—341, 294, 323 एवं 506(2) के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा—313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूटा फॅसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्तगण ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :--

큙.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 22.07.14 को रात्रि लगभग 10:00 बजे फरियादी के घर के सामने ग्राम कनासपुरा बरूफाटक में स्वैच्छ्या फरियादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
2	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को अश्लील गालियां देकर उसे एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी एवं लात—मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छ्या उपहति कारित की गयी ?
4	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी साक्षी बलराम

(अ.सा.1), मंशाराम (अ.सा.2), प्यारीबाई (अ.सा.3), प्रधान आरक्षक जगदीश चौहान (अ.सा.4), डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.5) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 4 का निराकरण :-

- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी बलराम (अ.सा.1) का कथन है कि घटना लगभग 8 माह पूर्व रात्रि लगभग 9:00 बजे की है, वह जनपद अध्यक्ष जगदीश के घर जा रहा था, तभी अभियुक्त महेश ने उसके सिर पर लट्ट मार दिया था, जिससे उसे सिर पर चोट आई थी । महेश के साथ कमल एवं जामसिंग भी थे, सुबह उसके घर के सामने की बागड़ को अभियुक्त कमल ने तोड़ दिया था, उनकी बोलचाल हुई थी, इसी बात को लेकर अभियुक्तगण ने उसके साथ रात्रि में मारपीट की थी । लट्ट लगने से वह बेहोश हो गया था । अभियोजन की ओर से सूचक-प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह ध्यान होने से इन्कार किया है कि अभियुक्त कमल एवं जामसिंग ने उसके साथ लात-मुक्कों से मारपीट की थी या नहीं, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सिर में लट्ट लगने से वह बेहोश हो गया था । साक्षी ने यह ध्यान होने से भी इन्कार किया है कि अभियुक्तों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसे सिर में लट्ट लगने से वह बेहोश हो गया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन सुबह ही उसका अभियुक्तों से विवाद हुआ था । वह मोटरसायकल चला लेता है, उसके पास मोटरसायकल है । घटना बरसात के मौसम की है और उस दिन विद्युत प्रदाय बंद था और विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि मोटरसायकल से जा रहा था तथा रात को अंधेरे में उसे एकदम से चोट लगी और वह बेहोश हो गया था । साक्षी ने स्वीकार किया कि कमल तथा जामसिंग को मारते या गाली देते हुए नहीं देखा था । साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि खेतों में काम करने वाले ट्रैक्टर या बैलगाड़ी से निकलते हैं तो खेतों की काली मिट्टी सड़क पर आने से कीचड हो जाता है । साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके साथ महेश एवं कमल ने कोई घटना कारित नहीं की थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।
- 8. साक्षी मंशाराम (अ.सा.2) का कथन है कि एक वर्ष पहले फरियादी बलराम के पिता कोलु ने रात्रि 11:00 बजे आवाज लगायी थी कि बलराम ने बच्चे को उठाकर फेंक दिया था, तब वह गया था, उसने देखा था बलराम शराब पीकर नीचे गिरा हुआ था, वह बलराम को उठाकर उसके घर ले गया था । साक्षी ने नक्शा—मौका प्र.पी. 2, जप्ती पंचनामे प्र.पी.3 और गिरफ्तारी पंचनामे प्र.पी.4 से 6 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं । अभियोजन की ओर से सूचक—प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि बलराम ने उसके सामने शराब नही पी थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि बलराम को घटना वाली रात्रि उसके घर वाले ईलाज के लिए अस्पताल ले गये थे, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि रात में जब उसने बलराम को उठाया था तो फरियादी ने उसके उपर उल्टी कर दी थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि महेश ने लकड़ी थाने पर जप्त करायी थी । साक्षी ने स्पष्ट किया कि महेश को लकड़ी लाकर देने का पुलिस ने कहा था, तब महेश ने लकड़ी लाकर दी थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त जामसिंग उसके पिताजी एवं शेष अभियुक्त उसके सगे भाई हैं । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना की रात्रि को एकदम से चिल्लाचोट हुई थी, तब वह अपने घर के बाहर निकला था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है

कि अभियुक्तगण तब फरियादी को गालियां दे रहे थे एवं अभियुक्त कमल एवं जामिसंग लात—मुक्कों से मारपीट कर रहे थे एवं जान से मारने की धमकी दी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्तगण उसके रिश्तेदार हैं एवं वह उन्हें बचाने के लिये उनके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है । बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब रात्रि में चिल्लाने की आवाज आई थी, उस समय बिजली बंद थी और फरियादी बलराम शराब का सेवन करता है और उसके पास मोटरसायकल भी है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँचा था, उस समय घटनास्थल पर कोई नहीं था और उसके घटनास्थल पर पहुँचने के बाद बलराम के माता—पिता आए थे । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुई थी ।

- 9. साक्षी प्यारीबाई (अ.सा.3) का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानती है, फरियादी बलराम उसका पुत्र है । घटना एक वर्ष पूर्व रात्रि 9:00 बजे की है। बलराम गांव में जा रहा था, तब अभियुक्त महेश ने उसे सिर पर लट्ट मार दिया था, जिससे उसे चोट आई थी एवं वह बेहोश होकर गिर गया था । अभियुक्तगण कमल एवं जामिसंग ने बलराम के साथ थप्पड़ एवं लात—मुक्कों से मारपीट की थी, उसने बीच—बचाव किया था । बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि बलराम उनसे अलग रहता है । जब वह घटनास्थल पर पहुँची थी, तब उसके एवं बलराम के अलावा और कोई नहीं था तथा उसकी बड़ी बहु घटनास्थल पर पहले ही आ गयी थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसका बेटा मिदरापान करता है, लेकिन घटना वाले दिन शराब नहीं पी थी । यह स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन शराब नहीं पी थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके घर के सामने सीमेंट कांकीट का रोड़ बना हुआ है ।
- 10. साक्षी डॉक्टर आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 23.07.14 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में कोल्या पिता भावसिंह आहत बलराम पिता कोल्या निवासी ग्राम बरूफाटक को ईलाज हेतु लेकर आया था तथा आपसी विवाद में बलराम को चोटे आना बताया था । उसने आहत का मेडिकल—परीक्षण करने पर बाएं कान के पीछे 2x2 इंच की सूजन, सिर के पिछले भाग पर 2x2 इंच की सूजन होना, कान से बहता हुआ रक्त तथा रक्त की उिल्टियां होना पाया था । उक्त सभी चोटे किसी सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना संभावित तथा साधारण प्रकृति की थी । आहत के मुंह से मिदरा की बदबू आ रही थी, उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.7 का है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव—पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर मोटरसायकल से गिर जाए तो उक्त चोटे आना संभव है ।
- 11. साक्षी जगदीश चौहान (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 23.07.14 को थाना ठीकरी में फरियादी बलराम पिता कोल्या की प्री.एम.एल.सी. थाने से जांच हेतु प्राप्त होने पर उसने आहत बलराम, साक्षी प्यारीबाई और कोल्या के कथन लिये थे तथा अभियुक्तों के विरूद्ध प्र.पी.1 का अपराध दर्ज किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने नक्शा—मौका प्र.पी.2 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अभियुक्त महेश के पेश करने पर प्र.पी.3 के जप्ती पंचनामे द्वारा एक बांस की लकड़ी जप्त की थी । उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । बचाव—पक्ष की ओर से किये गये

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल के आसपास रहने वाले गिरधारी एवं माधव के कथन लेखबद्ध नहीं किये थे । साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी एवं उसके परिवार का कोई सदस्य थाने पर रिपोर्ट करने नहीं आया था। यह अस्वीकार किया है कि उसने असत्य विवेचना की है एवं असत्य कथन कर रहा है ।

- 12. अभियोजन की ओर से विद्वान ए.डी.पी.ओ. श्री मंसूरी का तर्क है कि फरियादी के साथ अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की घटना कारित की है, जिसके संबंध में फरियादी ने स्पष्ट कथन किया है तथा शेष साक्षियों ने भी अभियोजन का समर्थन किया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला प्रमाणित होता है।
- 13. यह सही है कि फरियादी बलराम (अ.सा.1) ने अभियुक्त महेश द्वारा सिर पर लट्ठ मारना एवं शेष अभियुक्तों द्वारा भी उसके साथ मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना रात्रि के समय की है, उस समय घटनास्थल पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त कमल और जामसिंह को मारपीट, गालीगलौज करते नहीं देखा था। इस साक्षी ने केवल अभियुक्त महेश द्वारा सिर पर लकड़ी मारने के संबंध में कथन किया है तथा घटना के समय किसी अन्य साक्षी का उपस्थित नहीं होना बताया है, लेकिन अभियोजन की ओर से जिन साक्षीगण मंशाराम (अ.सा.2), प्यारीबाई (अ.सा.3) का परीक्षण कराया गया है, उन्होंने अभियुक्त द्वारा कोई भी घटना कारित करने के संबंध में स्पष्ट इन्कार किया है। यहां तक कि साक्षी प्यारीबाई (अ.सा.3) जो अभियुक्त की माता है का कथन है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँची तो फरियादी के अलावा वहां कोई नहीं था। साक्षी मंशाराम (अ.सा.2) ने भी फरियादी को घटना के समय शराब पीकर गिरना बताया है, साक्षी का कथन है कि वह जब घटनास्थल पर गया था तो उसने देखा था कि बलराम शराब पीकर नीचे गिरा हुआ था और उसे कोई भी चोट नहीं देखी थी।
- साक्षी डॉक्टर आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.५) का कथन है कि आहत 14. के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और उसे खुन की उल्टियां होना बताया है । फरियादी / आहत ने उसके द्वारा उसके साथ किन-किन व्यक्तियों ने किस-किस वस्त् से मारपीट की थी, इस संबंध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किये हैं । अभियुक्तों द्वारा उसका रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित करने अथवा जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किये हैं । सभी अभियोजन साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर घटना के समय तथा घटना के दिन सुबह आहत एवं अभियुक्तों का विवाद हुआ था, तो ऐसी स्थिति में बचाव–पक्ष का यह अभिवाक् संभावित प्रतीत होता है कि आहत बलराम (अ.सा.1) शराब के नशे में गिर गया, जिससे उसे चोट आई थी तथा रंजिश के कारण अभियुक्तों के विरूद्ध उसके द्वारा यह असत्य कथन किये गये हैं । अभियोजन की ओर से उक्त परिक्षित साक्षियों के अतिरिक्त आहत को मेडिकल-परीक्षण के लिये ले जाने वाले साक्षी कोल्या का भी परीक्षण नहीं कराया गया है. यहां तक कि उसे अभियोजन साक्षी के रूप में रखा भी नहीं गया है । ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना शंकास्पद हो जाती है तथा अभियुक्तों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा-341, 294, 323 एवं 506(2) का अपराध कारित किये जाने के संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है ।

- 15. अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्तों के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णत असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण महेश पिता जामसिंग, कमल पिता जामसिंग एवं जामसिंग पिता छोटिया भीलाला निवासीगण ग्राम कनासपुरा, बरूफाटक थाना ठीकरी जिला बड़वानी को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.वि. की धारा-341. 294, 323 एवं 506(2) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।
- अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं । 16.
- अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए ।
- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से 18. बाद अपील अवधि नष्ट की जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड्, जिला-बड्वानी, म.प्र.